/

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो v.

पी. एस. जयप्रकाश ई. टी. सी. ईटीसी।

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 2147-2149) 02 दिसंबर, 2022

/

[एम. आर. शाह और सी. टी. रविकुमार, न्यायाधीशगण]

अग्रिम जमानतःउच्च न्यायालय ने निजी प्रतिवादियों को अग्रिम जमानत दे दी-निजी प्रतिवादियों के खिलाफ आरोप यह था कि प्रासंगिक समय के दौरान, वे या तो केरल पुलिस या खुफिया ब्यूरो के अधिकारी थे और इसरो के वैज्ञानिकों के खिलाफ जासूसी के झूठे मामले दर्ज करने में शामिल थे-एक वैज्ञानिक द्वारा दायर लिखित याचिका जिसमें पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गई थी-मामला उच्चतम न्यायालय तक गया-सर्वोच्च न्यायालय ने गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित कदम उठाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया-समिति की सिफारिशों के अनुसार, सीबीआई ने निजी प्रतिवादियों सहित 18 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की-आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने निजी प्रतिवादियों को अग्रिम जमानत दे दी-सीबीआई द्वारा तत्काल अपील-आयोजितःनिजी प्रतिवादियों-अभियुक्तों को अग्रिम जमानत देते समय, उच्च न्यायालय ने न तो संबंधित अभियुक्तों के खिलाफ आरोपों पर विचार किया और न ही उनके द्वारा निभाई गई भूमिका पर और न ही वर्ष 1994 में प्राथमिकी दर्ज करने के समय उनके द्वारा निभाई गई स्थिति पर और न ही अपराध की जांच के दौरान उनके द्वारा निभाई गई भूमिका पर-उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर भी ध्यान नहीं दिया-इसलिए निजी प्रतिवादियों-मूल अभियुक्तों को अग्रिम जमानत देने वाले आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया जाता है-अग्रिम जमानत आवेदनों पर नए सिरे से विचार करने और उसके बाद विधि के अनुसार उचित आदेश पारित करने के लिए उच्च न्यायालय को भेजे गए मामले।

/

/

/

/

अपीलों को अनुमति देना और मामलों को उच्च न्यायालय को प्रेषित करना, न्यायालय

/

अभिनिर्धारित किया :**1.** उच्च न्यायालय ने केरल पुलिस/आईबी में काम करने के दौरान संबंधित अभियुक्तों द्वारा निभाई गई व्यक्तिगत भूमिका पर विचार किए बिना और उनके खिलाफ आरोपों की प्रकृति पर विचार किए बिना कुछ टिप्पणियां की थीं।

/

635

636 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 16 एस. सी. आर.

अग्रिम जमानत आवेदनों पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामलों को उच्च न्यायालय में भेजे जाने की आवश्यकता है।ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के साथ जो बात मायने रखती है वह यह है कि कई वर्षों के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाती है।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इस बात की बिल्कुल भी सराहना नहीं की कि वर्ष **2021** में पारित निर्णय और आदेश में इस न्यायालय द्वारा आरक्षित स्वतंत्रता के अनुसार प्राथमिकी दर्ज की गई थी।[पैरा **4**] **[639-**एफ-एच; **640-**ए]

/

2. प्रतिवादियों-अभियुक्तों को अग्रिम जमानत देते समय, उच्च न्यायालय ने न तो संबंधित अभियुक्तों के खिलाफ आरोपों पर विचार किया और न ही उनके द्वारा निभाई गई भूमिका पर और न ही वर्ष **1994** में प्राथमिकी दर्ज करने के समय उनके द्वारा निभाई गई स्थिति पर और न ही अपराध की जांच के दौरान उनके द्वारा निभाई गई भूमिका पर।उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर भी ध्यान नहीं दिया।प्रत्यर्थियों-मूल अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश-रद्द किए जाने और अलग किए जाने के योग्य हैं और मामलों को अग्रिम जमानत आवेदनों पर नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को भेजा जाना चाहिए और उसके बाद विधि के अनुसार और अपने गुण-दोष पर उचित आदेश पारित करने के लिए।[पैरा **5-6**] **[640-**बी-ई]

/

/

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2022 की आपराधिक अपील संख्या 2147-2149।

/

2021 के जमानत आवेदन संख्या 5010,5109 और 5809 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 13.08.2021 के निर्णय और आदेश से।

/

सह

2022 की आपराधिक अपील संख्या 2150।

एस. वी. राजू, ए. एस. जी., साइरिका राजू, अन्नम वेंकलटेश, कानू अग्रवाल, प्रमोद कुमार गुंटूर, शरत नांबियार, दिग्विजय दाम, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, राहुल मिश्रा, एम. के. मारोरिया, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री अपर्णा भट, सुश्री करिश्मा मारिया, निजाम पाशा, ऋषभ पारिख, सुश्री अपराजित जामवाल, कलीस्वरम राज, मोहम्मद सादिक टी. ए., श्रीमती अनु के. जॉय, अलीम अनवर, सुश्री तुलसी के. राज, जोस अब्राहम, सेबेस्टियन जोसेफ, एम. पी. श्रीविग्नेश, लक्ष्मण ए.

/

637

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम पी. एस. जयप्रकाश ई. टी. सी. ईटीसी।

राजा।टी, मिथुन कुमार।एन, सुश्री अंजू जोसेफ, जोगी स्कारिया, सुश्री बीना विक्टर, कीर्तिप्रियन ई., सुश्री एम. पिर्या, सुश्री वर्षा अवाना, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

/

अनुमति दी गई।

1. केरल उच्च न्यायालय द्वारा एर्नाकुलम में जमानत आवेदन संख्या 5010/2021,5109/2021 और 5809/2021 में पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए और उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध आवेदन संख्या 4424/2021 में पारित एक अलग आदेश, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त जमानत आवेदनों को अनुज्ञात है और इसमें निजी प्रतिवादियों को अग्रिम जमानत दी है-अपराध संख्या के संबंध में मूल आरोपी। भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 120 बी, 167,218,330,323,195,348,365,477 ए और 506 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) द्वारा दर्ज एससी-II दिल्ली पुलिस स्टेशन के आर. सी./050/2021 एस. 0007 ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

/

/

2. वर्तमान एफ. आई. आर. में अभियुक्तों के खिलाफ आरोप केरल पुलिस और खुफिया ब्यूरो (आई. बी.) के अधिकारियों द्वारा दर्ज अपराध संख्या 225/1994/246 1994 के संबंध में वर्ष 1994 से संबंधित हैं, जो एक मरियम रशिदा के खिलाफ दर्ज किया गया था।एस नंबी नारायणन नामक एक व्यक्ति को दो अन्य व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार किया गया था।जाँच सी. बी. आई. को सौंप दी गई। सी. बी. आई. ने धारा 173 (2) दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत एर्नाकुलम के विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष समापन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि एकत्र किए गए साक्ष्य से संकेत मिलता है कि एस. नंबी नारायणन सहित आई. एस. आर. ओ. के वैज्ञानिकों के खिलाफ जासूसी के आरोप साबित नहीं हुए थे और वे झूठे पाए गए थे।उक्त रिपोर्ट को एर्नाकुलम के विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिनांक 1 के आदेश के अनुसार स्वीकार कर लिया और सभी अभियुक्तों को आरोपमुक्त कर दिया गया।इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि उक्त आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत में केरल पुलिस और खुफिया ब्यूरो (आईबी) द्वारा जांच की गई थी और वर्तमान आपराधिक मामले में सभी आरोपी संबंधित समय के अधिकारी थे।

/

/

/

2.1 इसके बाद उक्त एस. नांबी नारायणन ने उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश से संपर्क कर राज्य सरकार को पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

/

विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त रिट याचिका को अनुज्ञात कर लिया।यह मामला केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष रखा गया था।डिवीजन बेंच ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने से इनकार करने वाले राज्य सरकार के आदेश अपास्त करते हुए ते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को पलट दिया और मामले को राज्य सरकार को भेज दिया।उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश 2018 की आपराधिक अपील संख्या

6637-6638 के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष विषय था।(2018) 10 एस. सी. सी. 804 में रिपोर्ट किए गए दिनांक 14.09.2018 के एक विस्तृत निर्णय द्वारा, इस न्यायालय ने उक्त अपीलों को अनुज्ञात कर लिया।इस न्यायालय ने केरल राज्य को रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। अपीलार्थी-एस. नांबी नारायणन को मुआवजे के रूप में 50 लाख।इस न्यायालय ने गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित कदम उठाने के तरीकों और साधनों का पता लगाने के लिए इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति डी. के. जैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का भी निर्देश दिया।

/

/

2.2 इसके बाद, इस न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश, माननीय श्री न्यायमूर्ति डी. के. जैन की अध्यक्षता में इस न्यायालय के दिनांकित आदेश के अंतर्गत नियुक्त समिति ने इस न्यायालय के समक्ष एक सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से रजिस्ट्री को रिपोर्ट की एक प्रति सीबीआई के निदेशक/कार्यवाहक निदेशक को भेजने का निर्देश दिया, जो न्यायालय द्वारा निर्देशित जांच होने के कारण विधि के अनुसार मामले में आगे बढ़ सकते हैं।इस न्यायालय ने यह भी कहा और स्पष्ट किया कि यह सी. बी. आई. के लिए खुला रहेगा कि वह रिपोर्ट को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के रूप में माने और मामले में उचित रूप से आगे बढ़े।इस न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उक्त रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और इसका उपयोग सी. बी. आई. द्वारा आगे की जांच/जांच प्रक्रिया के दौरान किया जा सकता है जो सी. बी. आई. द्वारा रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार की जानी चाहिए।

/

/

/

2.3 इसके बाद और इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति डी. के. जैन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सी. बी. आई. ने भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 120 बी, 167,218,330,323,195,348,365,477 ए और 506 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाते हुए केरल पुलिस और खुफिया ब्यूरो (आई. बी.) के अधिकारियों सहित 18 अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आई. डी. 1 पर वर्तमान एफ. आई. आर. दर्ज की है।

/

2.4 उपरोक्त एफ. आई. आर./अपराध सं. के संबंध में उनकी गिरफ्तारी की आशंका। सी. बी. आई. द्वारा पंजीकृत एस. सी.-II दिल्ली पुलिस स्टेशन का आर. सी./050/2021 एस. 0007, इसमें निजी उत्तरदाताओं ने अग्रिम ए. दायर किया।

/

639

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम पी. एस. जयप्रकाश ई. टी. सी. ईटीसी। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

जमानत आवेदन संख्या 5010/2021,5109/2021 और 5809/2021 के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन।आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त जमानत आवेदनों को अनुज्ञात कर लिया है और इसमें निजी प्रतिवादियों को अग्रिम जमानत दे दी है, जो सभी या तो केरल पुलिस के साथ या प्रासंगिक समय पर आईबी के अधिकारी थे।

/

2.5 अभियुक्त डॉ. सिबी मैथ्यूज आवेदक में से एक ने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक विविध याचिका सं. 4424/2021 (एसएलपी (आपराधिक) सं. <ID3 से उत्पन्न आपराधिक अपील में प्रतिवादी सं. 1) को शुरू में विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दी गई थी, हालाँकि, अग्रिम जमानत की अवधि केवल 60 दिनों तक सीमित थी और उसके बाद उसने उपरोक्त आपराधिक विविध आवेदन सं. 4424/2021 के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और दिनांक 16.11.2021 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त आवेदन को अनुज्ञात कर लिया है और उसे अग्रिम जमानत भी दे दी है।संबंधित अभियुक्तों को अग्रिम जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश-इसमें निजी प्रतिवादी सी. बी. आई. के कहने पर वर्तमान अपीलों का विषय हैं।

/

/

3. हमने अपीलार्थी-सी. बी. आई. की ओर से पेश होने वाले भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एस. वी. राजू को सुना है। हमने श्री कपिल सिब्बल को भी सुना है, जो प्रतिवादी की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हैं-एसएलपी (आपराधिक) संख्या <आईडी1 से उत्पन्न आपराधिक अपील में मूल आरोपी और उत्तरदाताओं की ओर से पेश होने वाले अन्य विद्वान वकील-मूल आरोपी।

/

4. श्री एस. वी. राजू, विद्वान ए. एस. जी. के साथ-साथ संबंधित उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील/वकील-योग्यता के आधार पर मूल आरोपी द्वारा कई प्रस्तुतियाँ दी गई हैं। हालाँकि, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों और आदेशों से ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने केरल पुलिस/आईबी में काम करते समय संबंधित अभियुक्तों द्वारा निभाई गई व्यक्तिगत भूमिका पर विचार किए बिना कुछ टिप्पणियां की हैं और उनके खिलाफ आरोपों की प्रकृति पर विचार किए बिना, हमारी राय है कि अग्रिम जमानत आवेदनों पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामलों को उच्च न्यायालय में भेजे जाने की आवश्यकता है।

/

/

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों और आदेशों से ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के साथ जिस बात का विचार किया जाता है वह यह है कि कई वर्षों के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाती है।हालांकि, उच्च न्यायालय ने ऐसा नहीं किया है

/

उन्होंने इस बात की सराहना की कि इस न्यायालय द्वारा वर्ष 2021 में पारित निर्णय और आदेश में आरक्षित स्वतंत्रता के अनुसार और इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति डी. के. जैन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसलिए, उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि वर्तमान एफ. आई. आर. इस न्यायालय द्वारा जारी टिप्पणियों और निर्देशों के अनुसार थी।

/

5. जो भी हो, जैसा कि ऊपर देखा गया है, प्रतिवादियों-अभियुक्तों को अग्रिम जमानत देते समय, उच्च न्यायालय ने न तो संबंधित अभियुक्तों के खिलाफ आरोपों पर विचार किया है और न ही उनके द्वारा निभाई गई भूमिका पर और न ही वर्ष 1994 में प्राथमिकी दर्ज करने के समय उनके द्वारा रखी गई स्थिति पर और न ही अपराध सं. 225/1994/246 1994 की जांच के दौरान उनके द्वारा निभाई गई भूमिका पर।उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति डी. के. जैन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर भी ध्यान नहीं दिया है।

/

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थियों को अग्रिम जमानत प्रदान करने वाले आक्षेपित निर्णय और आदेश-मूल अभियुक्त-रद्द किए जाने और अलग किए जाने के योग्य हैं और मामलों को अग्रिम जमानत आवेदनों पर नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को भेजा जाना चाहिए और उसके बाद विधि के अनुसार और अपने गुण-दोष पर उचित आदेश पारित करने और ऊपर की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए।

/

/

7. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी अपीलों की अनुज्ञात है। उच्च न्यायालय द्वारा पूर्वानुमेय जमानत आवेदन संख्या 5010/2021,5109/2021 और 5809/2021 में पारित दिनांक 13.08.2021 का आक्षेपित निर्णय और आदेश और आपराधिक विविध याचिका संख्या 4424/2021 में पारित दिनांकित 16.11.2021 का निर्णय और आदेश भी इसके द्वारा रद्द कर दिए जाते हैं।सभी अग्रिम जमानत आवेदनों को उच्च न्यायालय को विधि के अनुसार और अपने गुण-दोष के आधार पर और ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में नए सिरे से निर्णय लेने के लिए भेजा जाता है।हालाँकि, यह देखा गया है कि इस न्यायालय ने किसी भी पक्ष के पक्ष में गुण-दोष पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है और यह अंततः उच्च न्यायालय पर है कि वह विधि के अनुसार और अपने गुण-दोष पर और ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में उचित आदेश पारित करे।हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह रिमांड पर अग्रिम जमानत आवेदनों पर जल्द से जल्द, लेकिन अधिमानतः वर्तमान आदेश की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय ले और उनका निपटारा करे।

/

/

/

/

8. उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसे मामलों की सुनवाई करने वाली संबंधित पीठ के समक्ष इन सभी अग्रिम जमानत याचिकाओं को अधिसूचित करे।तब तक, एक अंतरिम व्यवस्था के माध्यम से और उच्च न्यायालय के समक्ष सी. बी. आई. के अधिकारों और दलीलों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, यह निर्देश दिया जाता है कि आज से पांच सप्ताह की अवधि के लिए और जब तक उच्च न्यायालय द्वारा रिमांड पर जमानत याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक उत्तरदाताओं-मूल अभियुक्तों को

गिरफ्तार नहीं किया जाए, बशर्ते कि वे जांच में सहयोग करें।यह आगे देखा गया है और निर्देश दिया गया है कि उच्च न्यायालय वर्तमान अंतरिम व्यवस्था से किसी भी तरह से प्रभावित हुए बिना रिमांड पर जमानत आवेदनों पर नए सिरे से निर्णय ले और उनका निपटारा करे और उच्च न्यायालय रिमांड पर जमानत आवेदनों पर विधि के अनुसार और उनके अपने गुण-दोषों और यहां ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में सख्ती से निर्णय लेगा और उनका निपटारा करेगा।

/

/

9. इन सभी अपीलों को उपरोक्त सीमा तक अनुज्ञात गई है।

/

/

अपीलों की अनुज्ञात गई और मामले उच्च न्यायालय को प्रेषित किए गए।

/

/

/

/